तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बी.एस. भाटी एडवोकेट बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार औसियां)

सू.अ.अ. अपील संख्या 35/2023

27-02-2023

अपीलार्थी बी.एस. भाटी अधिवक्ता, पता प्लॉट नं. 116, न्यू कॉलानी बी.जे.एस. जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.11..2022 में (1) राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–9/भूमि रूपान्तरण) विभाग का परिपत्र दि0 18. 11.2021 जो रोड़ बाउण्ड्री से संबंधित है की प्रमाणित प्रतिं , से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 725 दिनांक 18.12.2022 सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से जरिये पत्रांक 37 दिनांक 10.02..2023 प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी/अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक/रीडर/सूकाअअ/2022/725 दिनांक 28.12.22 द्वारा अवगत करवाया जा चुका है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया परिपत्र दिनांक 18.11.2021 राजस्व (ग्रुप–9/भूमि रूपान्तरण) विभाग जयपुर द्वारा जारी किया गया है अतः इस कार्यालय द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि दिया जाना उचित नहीं है तथा उक्त परिपत्र मूल प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रतिलिपि नहीं दी गई।

अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि यह परिपत्र जयपुर से जारी हुआ है सो आप On Line या Off Line मंगवाओ तथा कमरा नम्बर 4 में परिपत्र चस्पा है जाहिर है इसकी मूल प्रति Circular file में उपलब्ध है। आगे कहा कि नहीं है तो मुझे लिखने बजाय मेरा आवेदन पत्र जयपुर भिजवा देते ताकि सूचना मिल जाती, इनके कार्यालय में जब On Line सुविधा है तो मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मैने निर्धारित फीस जमा करवा दी है। अन्त में लोक सूचना अधिकारी(तहसीलदार औसियां) से सूचना दिलाने की इस्तदुआ की। चूंकि जब तहसीलदार औसियां द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को अवगत कराया गया कि चाही गई सूचना से संबंधित परिपत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है तथा On Line उपलब्ध है ऐसी स्थिति में उसके कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तुरन्त संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित करना चाहिए या On Line से प्राप्त कर भी निर्धारित शुल्क प्राप्त कर दी जा सकती थी, परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसा न करना विधिक प्रावधानों को आत्मसात न करने का फल है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार औसियां को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)